कार्यालय
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN No.-U85110CT2010SGC022089
(छ.ग. शासन का उपक्रम)
तृतीय तल, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष नं. 4280015/ 16/, ई-मेल cgmsc.adm.hr@gmail.com

क्र./8116/सी.जी.एम.एस.सी./प्रं.सं./2018, रायपुर, दिनांक 19/12/18

:: विज्ञापन ::

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत उप अभियंता (सिविल) तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2018 से दिनांक 13.01.2019 रात्रि 11.59 तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाईट www.cgvyapam.choice .gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :-

पदनाम	पुनरीक्षित वेतनमान/लेवल	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद						
			कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू. सै.	दिव्यांग	योग
उप-अभियंता (सिविल)	वेतनमान 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 (सातवां वेतनमान के अनुसार रू. 34500, लेवल 8)	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	04	अनारक्षित	02	-	-	-	02
				अनु.ज.जा.	01	-	-	-	01
				अनु.जा.	-	-	-	-	-
				अ.पि.व.	01	-	-	-	01
				महायोग	**04**	-	-	-	**04**

नोट -

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, में पारित पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

उक्त पदों की संभागवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्ते परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी जानकारी व्यापम की वेबसाईट वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

(व्ही. रामाराव)
भा.व.से.
प्रबंध संचालक
सी.जी.एम.एस.सी. लिमि., रायपुर

कार्यालय
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN No.-U85110CT2010SGC022089
(छ.ग. शासन का उपक्रम)
तृतीय तल, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष नं. 4280015/ 16/, ई-मेल cgmsc.adm.hr@gmail.com

क्र. 8177/सी.जी.एम.एस.सी./प्रं.सं./2018, रायपुर, दिनांक 21-12-18

सामान्य नियम व शर्ते :-

1. रिक्त पदों की वर्गवार एवं आरक्षणवार जानकारी निम्नानुसार है –

पदनाम	पुनरीक्षित वेतनमान/लेवल	श्रेणी	सीधी भर्ती के रिक्त पद								
			कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	योग	न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
उप-अभियंता (सिविल)	वेतनमान 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 (सातवां वेतनमान के अनुसार रू. 34500, लेवल 8)	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	04	अनारक्षित	02	–	–	–	02	आयु सीमा न्यूनतम 18वर्ष एवं अधिकतम 35वर्ष। शासन द्वारा समय-समय पर छूट के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा	**शैक्षणिक योग्यता:-** सिविल में डिप्लोमा, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अथवा समकक्ष श्रेणी के साथ। **अनुभवः-** निर्माण कार्यो का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा सिविल कंपनी में न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव
				अनु.ज.जा.	01	–	–	–	01		
				अनु.जा.	–	–	–	–	–		
				अ.पि.व.	01	–	–	–	01		
				महायोग	**04**	–	–	–	**04**		

2. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, में पारित पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
4. पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक है।
5. विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN No.-U85110CT2010SGC022089
(छ.ग. शासन का उपक्रम)
तृतीय तल, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष नं. 4280015/ 16/, ई-मेल cgmsc.adm.hr@gmail.com

6. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नही दी जावेगी।
7. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/3–2/2015/1–3, नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के द्वारा कैलण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।
8. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहेते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शाये गये पद संख्या से अधिक पदों पद भर्ती नहीं की जावेगी। विज्ञापन के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा।
11. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त या किसी भी प्रकार से दण्डित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नही होंगे। उक्त संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. नियुक्ति की सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।
13. भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण पत्र चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा।
15. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरांत मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
16. प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।
17. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
18. नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर उसे आवश्यकतानुसार किसी भी संभाग में पदस्थ किया जा सकेगा।
19. शासन नियमानुसार पेंशन की पात्रता नही होगी।
20. चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में लिया जावेगा।
21. सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति लेकर ही उनकी उपस्थिति कार्य में ली जावेगी।
22. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णांकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/13–2/2014/आ.प्र./1–3, दिनांक 14.07.2017 निर्देश का पालन किया गया है।

कार्यालय
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN No.-U85110CT2010SGC022089
(छ.ग. शासन का उपक्रम)
तृतीय तल, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष नं. 4280015/ 16/, ई-मेल cgmsc.adm.hr@gmail.com

23. परीक्षा पद्धति :– छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा उप अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यापमं के वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

(व्ही. रमाराव)
भा.व.से.
प्रबंध संचालक
सी.जी.एम.एस.सी. लिमि., रायपुर

पता : तीसरा माला, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर(छ.ग.), 492006
दूरभाष नं. 4280015/ 16, Fax: 4280018, website- www.cgmsc.gov.in, ई-मेल cgmsc.adm.hr@gmail.com